
भारतीयसर्वेक्षणविभाग / SURVEY OF INDIA





080 - 25532457

फैक्स 080 - 25536818

Email: zone.south.soi@gov.in



दक्षिणीजोनकार्यलय (Southern Zone Office) कोरमंगलाद्वितीयब्लाक(Koramangla 2nd Block) सर्जापुररोड (Sarjapur Road) बेंगल्रु(Bengaluru)

कर्नाटक (Karnataka) - 560 034

नेमी आदेश सं./ ROUTINE ORDER NO.03 दि.DATED 09 NOV 2021

- I. विषय/ SUB: कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति/ PROMOTION TO THE POST OF OFFICE SUPERINTENDENT
- 1. श्री के. गणपति, सहायक को 24.08.2020 से वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में नियमित आधार पर समूह 'बी' (अराजपत्रित) सेवा में कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। Shri K.Ganapathy, Assistant has been promoted to the post of Office Supdt in the Group 'B' (Non-Gazetted) Service, on regular basis in the Level 6 of Pay matrix, with effect from 24.08.2020.
- 2. उपरोक्त अधिकारी को नए वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिए एफआर 22(1)(ए)(1) के तहत विकल्प का प्रयोग करना आवश्यक है। उक्त अधिकारी का वेतन विकल्प के अनुसार कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित किया जायेगा। The above Officer is required to exercise an option under FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay in the new scale. In accordance with the option, the pay of the above Officer will be fixed by the Head of Office.
- 3. अनुसूचित जाति / जन जाति वर्ग के अधिकारी के संबंध में जाति का सत्यापन किया जाएगा । यदि सत्यापन के बाद यह पाया जाता है कि वे इस विशेष श्रेणी से संबंधित नहीं हैं तो उन्हें तत्काल मूल ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा / Re-verification of caste status in respect of the officer who belong to SC/ST category has to be carried out. In case after verification, if it is found that he does not belong to the particular category, he will be reverted back to the substantive grade, forthwith.
 - 4. यदि उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई भी सतर्कता मामला/अनुशासनात्मक कार्यवाही या दंड लंबित पाया जाता है, तो पदोन्निति आदेश लागू नहीं किया जाएगा। I ln case, if any vigilance case / disciplinary proceeding or pendency of punishment against the above Officer is noticed, the promotion order will not be implemented.

..Contd P/2..

- 5. पदोन्नित आदेश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.36021/11/2016-स्था.(Res-1)(Pt II) दिनांक के पैरा 4 के तहत उल्लिखित निर्देशों के अनुसार है। 15-06-2018। पैनल की चयन सूची अवमानना याचिका (सी) संख्या 30621/2011 (जरनैल सिंह और अन्य बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता और अन्य) और एसएलपी (सी) संख्या 31288/2017 और इस मामले से जुड़े किसी अन्य अदालत के परिणाम के अधीन होगी। अंडरटेकिंग प्राप्त कर रिकॉर्ड पर रखा जाएगा। The promotion order is according to the instructions mentioned under para 4 of Dop&T's O.M.No.36021/11/2016-Estt.(Res-1)(Pt II) dt. 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No.30621/2011 (Jarnail Singh & Others Vs Lachhmi Narain Gupta & Others) and the SLP(C) No.31288/2017 and any other court cases related in this matter. Undertaking to be obtained and placed on record.
 - 6. इस संबंध में होने वाला व्यय इस कार्यालय के वर्ष 2021-22 के उपलब्ध स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा और उपयुक्त शीर्ष के नामें डाला जाएगा ।/ The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this Office for the year 2021-22 and debited to the appropriate head of account. (Authority: SGO's L.Nos.C-2560/1354(OS/SGO) dt. 24.08.2020 and C-4390/1354-(OS/SGO) dt. 02.09.2021)

II. विषय/ SUB: <u>नियुक्ति / APPOINTMENT</u>

निम्नितिखित कर्मचारियों को उनके नामों के आगे दर्शाए गए विवरणानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग, दक्षिण क्षेत्र कार्यालय के ग्रूप "सी " स्थापना में वेतन मैट्रिक्स स्तर -1,रु .18000-56900) एम् टी एस के पद में अस्थाई रूप से दिनांक 28.02.2022 अथवा अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है The following employees are Provisionally appointed as Multi Tasking Staff (MTS) in the Group 'C' Estt. of Southern Zone Office, Survey of India, Bangalore on pay matrix of Rs.18000-56900, Level-1 as per the details shown against their names till 28.02.2022 or till further orders:-

28.02.2022 or till further orders:- Educational Authority and						
Names श्री रौशन	Date of Birth 05/12/1994	Whether SC/ST/OBC/EWS/ Ex-Serviceman EWS	Qualification B.Com(Hons)	Date of joining SZO Letter No.C-200/		
कुमार पांडे				4-E-1(e) dt.		
30.11				27.09.2021 & Date of		
Shri Raushan Kumar Pandey				Joining 27.09.2021 (f/n)		
		<u> </u>				

श्री रौशन कुमार Shri Raushan Kumar	18/11/1997	OBC	B.Sc(Physics)	SZO Letter No.C-213/ 4-E-1(e) dt. 8.10.2021 & Date of Joining 11.10.2021 (f/n)
श्री कृष्ण कुमार शर्मा Shri Krishna Kumar	21/12/1995	EWS	B.Sc(Hons)	SZO Letter No.C-215/ 4-E-1(e) dt. 11.10.2021 & Date of Joining 11.10.2021 (f/n)
Sharma श्री रेंजु राज Shri Renju Raj	25/09/1996	OBC	B.Tech	SZO Letter No.C-211/ 4-E-1(e) dt. 11.10.2021 & Date of Joining 21.10.2021 (f/n)

- 2. वे, भारतीय सर्वक्षण विभाग में निहित एम टी एस (ग्रुप सी) के भर्ती नियम 2018 द्वारा शासित होंगे / They will be governed by the provisons contained in the Survey of India Multi Tasking Staff (Group C) Recruitment Rules 2018.
- 3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी स्वास्थ्य परीक्षा की गई है तथा उन्हें सरकारी सेवा के लिए योग्य पाया गया हैं | They have been medically examined by the competent authority and found fit for Government service.
- 4. उनकी नियुक्ति, संबंधित प्राधिकारी द्वारा चरित्र एवं पूर्ववर्त के सत्यापन के अधीन है। Their appointment is subject to the verification of Character and Antecedents from the competent authority.
- 5. उन्हें नई पेंशन योजना 2004 के अंतर्गत रखा गया है। They are covered by the New Pension Scheme 2004.
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग /आर्थिक कमजोर वर्ग /भूतपूर्व सैनिक ..Contd P/4..

वर्ग के अधिकारी के संबंध में सत्यापन किया जाएगा । यदि सत्यापन के बाद यह पाया जाता है कि वे इस विशेष वर्ग से संबंधित नहीं हैं तो तत्काल उनकी सेवा समाप्त की जाएगी / Verification of caste status /Other category status in respect of those who belong to SC/ST/OBC/EWS/Ex-Serviceman category has to be carried out. In case after verification, if it is found that they do not belong to the particular category their services will be terminated, forthwith.

7. इस संबंध में होने वाला व्यय इस कार्यालय के वर्ष 2021-22 के उपलब्ध स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा और उपयुक्त शीर्ष के नामें डाला जाएगा । The expenditure to be involved will be met from the sanctioned budget grant of SZO for the year 2021-22 and debited to the appropriate head of account.

Authority: S.G's letter No.E3-261/1011-MTS dt. 23.7.2021 S.G's letter No.E3-348/1011-MTS dt. 15.9.2021

(पी वी श्रीनिवास)

अपर महासर्वेक्षक

DISTRIBUTION:-

- 1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून सूचनार्थ / The Surveyor General of India, Dehra Dun
- 2. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, हैदराबाद / The Regional Pay & Accounts Officer, Hyderabad.
- 3. स्थापना एवं लेखा अधिकारी / E&AO/DDO, SZO / कार्यालय अधीक्षक, O.S(Adm), SZO for necessary action.
- 4. फाईल Files:37-G-9-3 / गार्ड फाईल / Guard File / गोपनीय विभाग / Confdl Section
- 5. SOI Website